AGRA POLICE

"सुरक्षा आपकी, संकल्प हमारा"

प्रेसनोट थाना कोतवाली जनपद आगरा। 09.09.2021

थाना कोतवाली पुलिस टीम द्वारा चांदी को ले जाने वाले दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार करते हुए माल को किया गया बरामद...

दिनांक 06.09.2021 को वादी विनय अग्रवाल द्वारा थाना कोतवाली पर तहरीर दी गयी कि प्रार्थी का पुत्र मिश्रित चांदी के जेवर, चेन बनाने का काम मजदूरी पर करता है एवं उसके यहां रिंकू पुत्र सुरेश व उसका परिचित संजय पुत्र संतोषी भी काम करते हैं। दिनांक 05.09.2021 को संजय प्रार्थी की एक्टिवा से ग्राहकों का तैयार माल लगभग 24 किग्रा चेन (चाँदी) आदि लेकर गया था एवं माल को लेकर फरार हो गया था। इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली पर मु0अ0सं0 74/21 धारा 406 भादवि पंजीकृत किया गया।

दिनांक 08.09.2021 को पुलिस टीम द्वारा की जा रही चैकिंग के दौरान मुखबिर खास द्वारा सूचना प्राप्त हुयी कि उपरोक्त अभियोग से सम्बन्धित अभियुक्तगण अम्बेडकर पार्क गेट के पास थाना रकाबगंज क्षेत्र में कहीं जाने की फिराक में खड़े हुए हैं।

इस सूचना पर तत्काल कार्यवाही करते हुए दोनों अभियुक्तों को बताये स्थान पर पहुंच एक बारगी दबिश देते हुए गिरफ्तार कर लिया गया। अभियुक्तगण के कब्जे से 22.660 ग्राम चांदी व एक्टिवा बरामद की गयी।

पूछताछ का विवरण :– पुलिस टीम द्वारा पूछताछ करने पर अभियुक्त संजय के द्वारा बताया गया कि मुझे रिंकू ने काम पर लगवाया था एवं उसी ने मुझे माल गायब करने के लिए कहा और बेचकर रूपयों को आपस में बांटने के लिए कहा था।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण :–

01. संजय पुत्र संतोषी नि0 सेमरी का ताल देवरी रोड थाना ताजगंज जनपद आगरा।
02. रिंकू पुत्र सुरेश नि0 ग्राम सेमरी देवरी रोड थाना ताजगंज जनपद आगरा।

बरामदगी का विवरण :–

01. कुल 22.660 ग्राम चांदी ले जायी गयी।
02. 01 एक्टिवा।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त संजय, रिंकू उपरोक्त :–

05. मु0अ0सं0 74/21 धारा 406/411/120बी भादवि थाना कोतवाली जनपद आगरा।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण :–

01. प्रभारी निरीक्षक श्री सुभाष चन्द्र पाण्डेय मय टीम थाना कोतवाली जनपद आगरा।

मीडिया सेल जनपद आगरा